# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

## प्रैस नोट

## 1954 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच के आम चुनाव, 2020 के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26.12.2019 को राज्य की 9171 **पंचायतों के लिए सरपंच एवं उनके** वार्डों के लिए पंच के पदों के लिए आम चुनाव तीन चरणों में कराये जान का कार्यक्रम जारी किया गया है **जिनकी मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 04.12.2019 को एवं अन्तिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को कर दिया गया है**। इन पंचायतों के प्रथम चरण का मतदान दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 22 जनवरी, 2020 एवं तृतीय चरण का मतदान दिनांक 29 जनवरी, 2020 को होना नियत है।

राज्य सरकार की दिनांक 01.12.2019 की अधिसूचनाओं द्वारा पंचायत/पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया। इस पुनर्गठन में 449 पंचायतों का पुनर्गठन कर 173 नई पंचायतों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार के परिसीमन की उक्त अधिसूचनाओं को DB Civil Writ Petition No.17993/2019 Jai Singh vs State of Rajasthan and other द्वारा उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में चुनौति दी गई। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.12.2019 द्वारा राज्य सरकार की दिनांक 15/16.11.2019 की अधिसूचनाओं एवं उनकी शुद्धि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 23.11.2019 को छोडकर अन्य सभी अधिसूचनाओं को अपास्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2019 के कारण आयोग का निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम दिनांक 08.12.2019 प्रत्याहृत किया गया और पुनः परिवर्तित कार्यक्रम दिनांक 17.12.2019 जारी किया गया। **इस कार्यक्रम के अनुसार शेष रही 1954 पंचायतों की निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 28.12.2019 कर दिया गया है और अन्तिम प्रकाशन दिनांक 22.01.2020 को होना नियत है। अब इन 1954 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक के लिए सरपंच एवं इन पंचायतों के 18914 वार्डों में प्रत्येक के लिए वार्ड पंच का चुनाव कराये जाने के लिए चौथे चरण का कार्यक्रम घोषित किया गया है।**

- **चुनाव कार्यक्रम :**

| क्र.स. | कार्य का विवरण | तिथियां |
|---|---|---|
| 1 | जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि | 22.01.2020 (बुधवार) |
| 2 | नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय | 23.01.2020 (गुरूवार)<br>प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक |
| 3 | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय | 24.01.2020 (शुक्रवार)<br>प्रातः 10.30 से |
| 4 | नाम वापसी की तारीख एवं समय | 24.01.2020 (शुक्रवार)<br>अपरान्ह 3.00 बजे तक |
| 5 | चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन | 24.01.2020 (शुक्रवार)<br>नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् |
| 6 | मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच | 31.01.2020 (शुक्रवार) |
| 7 | मतदान की तिथि एवं समय | 01.02.2020 (शनिवार)<br>प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक |
| 8 | मतगणना<br>(पंचायत मुख्यालय पर) | 01.02.2020 (शनिवार)<br>मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् |
| 9 | उप सरपंच का चुनाव | 02.02.2020 (रविवार) |

4/1/2020

➢ पंचायत समितियां एवं इनमें सम्मिलित ग्राम पंचायतों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "A" पर संलग्न है। इनसे संबंधित पंचायतों की सूची आयोग की वेवसाइट http://sec.rajasthan.gov.in/ पर Upload कर दी गई है।

- **ई.वी.एम. से मतदान :**

➢ जनवरी 2020 में होने वाले सरपंच पद के निर्वाचन की तरह इन चुनावों में भी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा जिलों की आवश्यकतानुसार मशीनों का आवंटन कर दिया गया है। पंच पद का निर्वाचन मतपेटी एवं मतपत्र (Ballot Box and Ballot Paper) के माध्यम से करवाया जायेगा।

- **मतदाता सूची :**

➢ पंच एवं सरपंच के चौथे चरण के आम चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.01.2020 को किया जाएगा। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

➢ सरपंच एवं पंच के चुनाव की प्रारूप मतदाता सूची दिनांक 28.12.2019 के अनुसार इन पंचायतों की मतदाता सूची में 6557715 **मतदाता** पंजीकृत है। प्रारूप मतदाता सूची में ऐसे मतदाता ज़ो दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष के हो गये हैं को जोडे जाने का अवसर दिया गया है अतः मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन में मतदाताओं की संख्या तदनुसार बढ जायेगी। प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार इन मतदाताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है।

| **मतदाताओं का विवरण** | | | |
|---|---|---|---|
| **पुरूष** | **महिला** | **थर्ड जेण्डर** | **कुल** |
| 3438867 | 3118831 | 17 | 6557715 |

- **वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरणः**

➢ राज्य सरकार द्वारा वार्डो के पुनः पुनर्गठन एवं परिसीमाकंन किये जाने के बाद अब इन पंचायतों में वार्डों की संख्या एवं मतदान केन्द्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैः–

| विवरण | पंचायत (जिनका चुनाव कराया जाना है) |
|---|---|
| पंचायतों की संख्या | 1954 |
| वार्डो की संख्या | 18914 |
| मतदान केन्द्रों की संख्या | 7554 |

- **मतदाताओं की पहचानः**

➢ राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग के **पत्रांक 559 दिनांक 07.02.2019** के द्वारा अनुमोदित किए गए **12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों** में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

➢ इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

➢ उक्त 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन पंचायतों के निर्वाचन की लोक सूचना की दिनांक से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य शान्तिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।

- **मतदाता सहायताः**

➢ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर **SEC VOTER** अंकित कर स्पेस के पश्चात् **Epic No** अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।

- **मतदान दल को प्रशिक्षण एवं पुलिस बल**

➢ मतदान दलों को दो स्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा।

- **चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति**

➢ पूर्व में जारी कार्यक्रम की निरन्तरता में ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के निर्वाचन के लिए मतदान, मतगणना अन्य चुनाव संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए आवश्यकतानुसार एक या अधिक पर्यवेक्षकों को नियोजित किया जाएगा। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृखंला के अधिकारी होंगे।

- **चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना**

➢ आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे। यह नियन्त्रण कक्ष 24 X 7 (रात–दिन) लगातार कार्य करेंगे।

- **अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा**

➢ चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं।

➢ लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा एवं इसका प्रयोग रात्रि 10.00 बज से प्रातः 6.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित निर्वाचन अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

➢ इस आदेश में चुनाव के लिए इन मदों पर खर्च की सीमा में वृद्वि की गई है। इससे पूर्व खर्च की सीमा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में रू. 20,000/– निर्धारित की गई थी, जिसे परिवर्तित कर रूपये 50,000/–निर्धारित किया गया हैं। इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- **दिव्यांगजन (Person with Disabilities) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा**

➢ आयोग द्वारा दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैंपिग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोडने के निदेशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं।

- **आदर्श आचरण संहिता**

➢ चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें।

**राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26.12.2019 को राज्य की 9171 पंचायतों के लिए सरपंच एवं उनके वार्डों के लिए पंच के पदों के लिए आम चुनाव तीन चरणों में कराये जान का कार्यक्रम जारी किया गया। इन 9171 पंचायतों में बाडमेर जिले की दो ऐसी पंचायत भी शामिल थी जिनकी निर्वाचन नामावली का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को नहीं हो सका। इन दो पंचायतों को चतुर्थ चरण की 1954 पंचायतों में शामिल किया गया है।**

➢ **पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान पुनर्गठन के अनुसार राज्य में कुल 11142 ग्राम पंचायतें है। जिनमें से 19 पंचायतों को छोडकर जिनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हो रहा है 11123 पंचायतों का चुनाव चार चरणों में सम्पन्न होगा जिनका विवरण तालिका में इस प्रकार है–**

| चरण | पंचायतों की संख्या | नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि | मतदान की तिथि | उप सरपंच का चुनाव |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम चरण | 3847 | 08.01.2020 | 17.01.2020 | 18.01.2020 |
| द्वितीय चरण | 3191 | 13.01.2020 | 22.01.2020 | 23.01.2020 |
| तृतीय चरण | 2131 | 20.01.2020 | 29.01.2020 | 30.01.2020 |
| चतुर्थ चरण | 1954 | 23.01.2020 | 01.02.2020 | 02.02.2020 |
| कुल | 11123 | | | |

➢ **दिनांक 2 फरवरी 2020 को चतुर्थ चरण के उप सरपंच के चुनाव के साथ ही राज्य में पंच एवं सरपंच का आम चुनाव सम्पन्न हो जायेगा।**

➢ **सभी अभ्यर्थियों, सभी मतदाताओं एवं मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने में अपना पूरा–पूरा सहयोग प्रदान करें।**

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान